

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ



हरीराम

बनाम

शिशपाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 08 सन-2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 18.01.2022 | <p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का विन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दरतावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 287 / 258 की कुल 20.2526हैक्ठ भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीखे पेशी तक नही किया जावे। अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । उक्त स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावेँ अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक .28.02.2022 को पेश हो ।</p> <p align="right">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> पत्रावली पेश हुई श्रीगज्ज पी.जे. गहब पत्रावली दि० .2/3/22.....को पेश हो। </p> <p> वकील सायल उपरिगत वकील सायल एवं उपरिगत सायल ने निवेदन किया की वह अपना प्रार्थनापत्र नही चलावा चालव लासिज परमाथा सामल एका व गारा अपना का प्रार्थना पत्र नही चलाव व चारों लासिज विमा प्राप्त है परमाथी नसिका वपत्र है </p> | <p align="right"> मही चकानी चरहे है। </p> <p align="right"> हरिराम  28/2/22 </p> <p align="right"> उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> |